फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजाराम बनाम कपुराराम वगैरह

किस्म मुकदमा ......225.आर.टी.एक्ट............... मुकदमा नंबर..............45.........सन..........2023..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.06.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2023 बउनवान राजाराम बनाम कूपाराम वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कलापुरा, पटवार क्षेत्र बैरठ, भू.अभि.नि.क्षै. बाकरा तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 365 रकबा 0.0100 हैक्टेर, किस्म गैर.मु. बैरा, खसरा नंबर 366 रकबा 8.7500 हैक्टेर, किस्म चाही सोयम एवं बारानी सोयम कुल खसरा 2 रकबा 8.7600 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी

किये जाने बाबत आदेशित किया गया है। किन्तु स्थगन के संबध मे किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की सामलाती खातेदारी आराजी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गोमाराम मानसिक रूप से विकृत होने के कारण कुछ लोग उसके बहला-फुसलाकर जमीन हडपना चाहते है। अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कलापुरा, पटवार क्षेत्र बैरठ, भू.अभि.नि.क्षे. बाकरा तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 365 रकबा 0.0100 हैक्टेर, किस्म गैर.मु. बैरा, खसरा नंबर 366 रकबा 8.7500 हैक्टेर, किस्म चाही सोयम एवं बारानी सोयम कुल खसरा 2 रकबा 8.7600 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की फोटोप्रति के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो की तलबी के नोटिस तलबाना जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 19.06.2023 को पेश होने बाबत अंकन किया गया है। उक्त आदेशिका के अन्तर्गत स्थगन के संबध मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है एवं न ही उक्त आदेश के किसी पक्षकार के अधिकार प्रभावित हो रहे है। उक्त आदेश संपूर्ण आदेश नहीं है एवं वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। किन्तु अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार संवत 2073–2076 प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की सामलाती आराजी है। अगर वादग्रस्त आराजी का किसी पक्षकार द्वारा बेचान किया जाता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी। अत उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी पर सरहद मौजा कलापुरा, पटवार क्षेत्र बैरठ, भू.अभि.नि.क्षै. बाकरा तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 365 रकबा 0.0100 हैक्टेर, किस्म गैर.मु. बैरा, खसरा नंबर 366 रकबा 8.7500 हैक्टेर, किस्म चाही सोयम एवं बारानी सोयम कुल खसरा 2 रकबा 8.7600 हैक्टेर पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तद्ानुसार उपखंड अधिकारी जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2023 बउनवान राजाराम बनाम कूपाराम वगैरह मे उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली